बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः– प्र0/ग्रामीण विद्युतीकरण–02/2015 पटना, दिनांकः–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना।

विषयः– **राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये उपकरणों/सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि रू0 57,02,88,000/– (संतावन करोड़ दो लाख अठ्ठासी हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद से प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

2. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एन0एच0पी0सी0 एवं साउथ/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों पर लगने वाले प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

3. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यादेश सं0–353 दिनांक–27.01.2011 द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये उपकरणों/सामग्रियों पर प्रवेश शुल्क की राशि रू0 14,98,59,852/–(चौदह करोड़ अन्ठानवे लाख उनसठ हजार आठ सौ बावन) रूपये की प्रतिपूर्ति बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को गैर योजना मद से करने की स्वीकृति एवं भविष्य में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत आपूर्ति किये गए उपकरणों/सामग्रियों पर प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु माँग के अनुसार बजट प्रावधान के तहत वित्त विभाग की सहमति से करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना द्वारा आपूर्ति किये गए उपकरणों/सामग्रियों पर दिये गये प्रवेश शुल्क के भुगतान से संबंधित राशि का चलान संलग्न करते हुए रू0 76,68,84,656/–(छिहत्तर करोड़ अड़सठ लाख चौरासी हजार छः सौ छप्पन) के भुगतान का अनुरोध किया गया था। निधि के अभाव में तत्काल उपलब्ध राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–791 दिनांक 12.03.2018 द्वारा 19,65,96,542/–(उन्नीस करोड़ पैसठ लाख छियानवे हजार पॉच सौ बयालीस) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना को गैर योजना मद से प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

5. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत आपूर्ति किये गये उपकरणों/सामग्रियों पर दिये गये प्रवेश शुल्क की शेष राशि रू0 57,02,88,000/–(संतावन करोड़ दो लाख अठ्ठासी हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद से प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. इस राशि का व्यय माँग सं0– 10 मुख्य शीर्ष–2801– बिजली, उपमुख्य शीर्ष–05– संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कं0 लि0, (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) विषय शीर्ष–0004– 33 01 सब्सिडी विपत्र कोड एन0– 2801051900004, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ0पृ0उ0

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना द्वारा खोले गये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के खाता सं0– 32933190301 एवं आई0एफ0सी0 कोड–SBIN-0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर के द्वारा की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या–प्र0/ग्रामीण विद्युतीकरण–02/2015 के पृष्ठ संख्या 24/टि0 पर दिनांक 31.01.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0/ग्रामीण विद्युतीकरण–02/2015 **पटना, दिनांकः**–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0/ग्रामीण विद्युतीकरण–02/2015 - 290 **पटना, दिनांकः**– 01-02-19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा–7 वित्त विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कं0 लि0, पटना/वरीय प्रबंधक, (वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कं0 लि0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।